Important Notice

Attention: candidates of CHSL-2018 examination seeking exemption from appearing & qualifying in Typing Test

Candidates qualified in Tier-II of CHSL Exam, 2018, who are 'Persons with benchmark disability 'and who claim to be permanently unfit to take the Typing Test because of Physical disability and seek exemption from appearing and qualifying in Typing Test are required to send scanned copies of following documents on email ID: ssccr-chsl18@gmail.com, latest by 22-11-2020.

- 1. **Medical Certificate** seeking exemption in prescribed format (**Annexure XIII** of the notice of Examination)from the competent Medical Authority, i.e., the Civil Surgeon of a Government Health Care Institution
- 2. **Certificate of Disability** in the prescribed format as per Annexure-VIII to Annexure-X of the notice of Examination, as applicable
- 3. Undertaking as per the format annexed to this notice

Alternatively, the candidates may also report at the venue for skill test on 26-11-2020 along with aforementioned documents (original & photocopy) for seeking exemption from Typing Test.

The candidates are required to produce all these documents in original before the Commission at the time of document verification. If any candidate fails to produce the same during document verification, Commission would cancel the candidature of such candidate for this exam and such candidates will have no claim against the Commission's decision.

UNDERTAKING

I	_, Roll No.		am a
candidate of CHSLE 2018 Examination requirement of appearing and qual 13.7.6.7 of examination notice, as I because of physical disability. I accertificate in prescribed format (and competent medical authority i.e. a institution along with relevant meannexure VIII to annexure X of the institution along with relevant meannexure VIII to annexure X of the institution along with relevant meannexure VIII to annexure X of the institution along with relevant meannexure VIII to annexure X of the institution along with relevant meannexure VIII to annexure X of the institution along with relevant meannexure X of the institution with the institu	on and would like alifying in type to am permanently am herewith at a civil surgeon of the civil certificate.	e to avail exemption for est, in accordance with y unfit to take the type taching a copy of re- tice of examination, is of a Government heal in prescribed format	rom the ith Para ing test equisite sued by lth care
I also undertake that I will produced the Commission may cancel my candid claim against the Commission's deci	commission. If I is ature for this ex	fail to produce the sa	me, the
		ECANDIDATE	

// महत्वपूर्ण सुचना //

संयुक्त हायर सेकेंडरी स्तरीय परीक्षा (CHSL)-2018 के वह उम्मीदवार जो टंकण परीक्षा में उपस्थित होने और टंकण परीक्षण से छूट प्राप्त करना चाहतें है के सूचनार्थ ।

संयुक्त हायर सेकेंडरी स्तरीय परीक्षा (CHSL)-2018 के टियर-2 में सफल उम्मीदवार, जो 'बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति' हैं और जो शरीरिक विकलांगता के कारण टाइपिंग टेस्ट देने में स्थायी रूप से अक्षम हैं और टाइपिंग टेस्ट में उपस्थित होने तथा टंकण परीक्षण से छूट प्राप्त करना चाहते हैं तो निम्नलिखित दस्तावेजों की स्कैन प्रतियाँ आयोग की इस EMAIL ID: ssccr.chsl18@gmail.com पर दिनांक 22.11.2020 तक प्रेषित कर दें।

- सक्षम मेडिकल अथॉरिटी, अर्थात् सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्थान के सिविल सर्जन से निर्धारित प्रारूप (परीक्षा की सूचना का अनुबंध XIII) में टंकण परीक्षा मे छूट के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट।
- 2. परीक्षा विज्ञप्ति के अनुबंध-VIII से अनुबंध-X के अनुसार निर्धारित प्रारूप में विकलांगता का प्रमाण -पत्र जैसा कि लागू हो।
- 3. इस सूचना के साथ संलग्न प्रारूप के अनुसार वचनपत्र।

वैकल्पिक रूप से, उम्मीदवार टंकण परीक्षण से छूट प्राप्त करने के लिए उपरोक्त दस्तावेजों (मूल और फोटोकॉपी) के साथ 26.11.2020 को कौशल परीक्षण के परीक्षा स्थल पर भी रिपोर्ट कर सकते है।

उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के समय इन सभी दस्तावेजों को आयोग के समक्ष मूलरूप से प्रस्तुत करना आवश्यक है। यदि कोई उम्मीदवार दस्तावेज सत्यापन के दौरान उपरोक्त दस्तावेजों की मूल प्रति प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो आयोग इस परीक्षा के लिए ऐसे उम्मीदवार की उम्मीदवारी को रद्द कर देगा और ऐसे उम्मीदवारों का आयोग के फैसले के सम्बन्ध में कोई दावा मान्य नहीं होगा।

वचन-पत्र

मैं संयुक्त
हायर सेकेंडरी स्तरीय परीक्षा (CHSL)-2018 का एक उम्मीदवार हूँ और परीक्षा के
नोटिस के पैरा 13.7.6.7 के अनुसार, टंकण परीक्षा में उपस्थित होने और टंकण
परीक्षण से छूट का लाभ लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैं शारीरिक विकलांगता के
कारण टंकण परीक्षा देने में स्थायी रूप से अक्षम हूँ। मैं परीक्षा विज्ञप्ति के
निर्धारित प्रारूप (अनुबंध –XIII) में अपेक्षित प्रमाण –पत्र की एक प्रति जो कि
सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी जो की सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्थान का सिविल
सर्जन हो, के द्वारा जारी किया गया हो, साथ ही निर्धारित प्रारूप में प्रासंगिक
चिकित्सा प्रमाण पत्र परीक्षा विज्ञप्ति के अनुबंध VIII से X के अनुसार संलग्न कर
रहा हूँ।

मैं यह भी वचन देता हूँ कि मैं आयोग के समक्ष दस्तावेज सत्यापन के दौरान इन सभी दस्तावेजों को मूलरूप में प्रस्तुत करूंगा। यदि मैं इनको प्रस्तुत करने में विफल रहता हूँ, तो आयोग इस परीक्षा के लिए मेरी उम्मीदवारी रद्द कर सकता है और आयोग के फैसले के खिलाफ मेरा कोई दावा नहीं होगा।

हस्ताक्षर
अभ्यर्थी का नाम
अनुक्रमांक
दिनांक